कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार, फेस–प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष सं0–0591–2450066)

पत्रांक 273 / 141 दिनांक, मुरादाबाद, जुलाई, 1 2018.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषयः– मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कॉठ मार्ग) एस0एच0–49 कि0मी0 14 के (चैनेज 13.552–13.600) की बॉयी पटरी पर खसरा सं0–242 पर ग्राम लदावली, तह0 कॉठ, जिला–मुरादाबाद में (सी0एन0जी0) रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित बाधक 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–55/मुरादाबाद/33064/2018 दिनांक 09–07–2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दु सं0–1 से 3 तक आपत्तियॉ की गयी हैं, जिनका निस्तारण मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11सी, दिनांक 24–5–2016 के कम में निम्नवत् निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें–

Observ No.	Observation of Nodal	Reply
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–58(1)पर संलग्न बाधक वृक्षों के विवरण में 31–60 व्यासवर्ग व 150 व्यासवर्ग के प्रजातिवार वृक्षों का योग त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ–58(1)पर संलग्न बाधक वृक्षों के विवरण में 31–60 व्यासवर्ग व 150 व्यासवर्ग के प्रजातिवार वृक्षों का योग सही कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2	परियोजना में 250 पौधो के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण की योजना संलग्न की गयी है, जिसकी अंकलित धनराशि अत्यन्त कम है, इस धनराशि में रोपण व 10 वर्ष हेतु अनुरक्षण की पर्याप्त नही प्रतीत होती। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा रिटेल आऊटलेट की निर्गत स्वीकृतियों में सामान्यतः 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षों के अनुरक्षण की शर्त अधिरोपित की जाती है। अतः तदनुसार 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षों के अनुरक्षण की सुसंगत योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने तथा आनलाईन पार्ट–2 पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।	100 पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण की सुसंगत योजना प्रस्ताव के पेज संख्या–42 से 44 तक संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	आनलाइन पार्ट–2 के एडीशनल इनफारमेशन डिटेल्स मे अनेको महत्वपूर्ण अभिलेख यथाः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, चिन्हित वन स्वरूप भूमि संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेंचुरी उपलब्ध होने संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित वन भूमि की उपयुक्ता आदि अपलोड नहीं है। अपलोड कराने का कष्ट करें।	आनलाइन पार्ट–2 के एडीशनल इनफारमेशन डिटेल्स में अनेकों महत्वपूर्ण अभिलेख यथाः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, चिन्हित वन स्वरूप भूमि संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेंचुरी उपलब्ध होने संबन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित वन भूमि की उपयुक्ता आदि ऑनलाईन पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक–प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ मूल में।

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा,उप महा प्रबन्धक,सिटी एनर्जी लि0, सी0एन0जी0 स्टेशन, ग्राम धनुपुरा, 14 कि0मी0 माईल स्टोन, एन0एच0–24, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Scanned by CamScanner